

कार्मिक प्रबन्ध अनुभाग (अ)
गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर
जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक:पीएमएस(ए)/एसएओ/ 8159

दिनांक: अप्रैल 24, 2024

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 120/2024 (एस/बी) डा0 अक्वेश कुमार बनाम कुलपति, गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर एवं अन्य में दिनांक 02.04.2024 को निम्नांकित अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं—

“9. In such view of matter, let counter affidavit be filed within three weeks.

10- Rejoinder affidavit, if any, be filed before next date of listing.

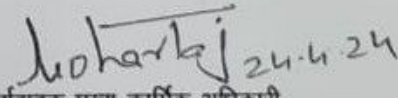
11. List this petition on 22-05-2024.

12. In the meantime, effect and operation of Office Order dated 29-02-2024 shall remain stayed.

13. Stay application stands disposed of.”

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उपरोक्त अन्तरिम आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या पीएमए/एसएओ/8136 दिनांक अप्रैल 08, 2024 निर्गत किया गया लेकिन उक्त कार्यालय आदेश के अनुपालन में आपके द्वारा प्रेषित कार्यभार ग्रहण आख्या पत्रांक संख्या सीएफएससी/सी/772 दिनांक 10.04.2024 पर सक्षम अधिकारी द्वारा निम्न आदेश पारित किए हैं—

1. मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में Senior Most होने के नाते केवल दैनन्दिन (day to day) कार्यों का निष्पादन डा0 अक्वेश कुमार, प्राध्यापक द्वारा किया जायेगा।
2. संकाय/महाविद्यालय के नीतिगत प्रकरणों जो कि डीन के द्वारा निष्पादित किये जाने होते हैं, को निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण के माध्यम से कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के वित्तीय अधिकारों का निष्पादन अग्रिम आदेशों तक कुलपति जी द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।


कार्यवाहक मुख्य कार्मिक अधिकारी
कृते कुलपति

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1-निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण

2-निदेशक (विधि),

3-कुलसचिव

4-नियन्त्रक

5-डा0 अक्वेश कुमार, (वरिष्ठतम प्राध्यापक, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय) विभागाध्यक्ष, जलजीवपालन, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय

6-प्रमारी विश्वविद्यालय वेबसाइट

7-नोडल आफिसर, एमआईएससी

8-व्यक्तिगत पत्रावली

9-कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कार्मिक प्रबन्ध अनुभाग (अ)
गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर
जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक पीएमए/एसएओ/8136

दिनांक : अप्रैल 08, 2024

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 120/2024 (एस/बी) डा0 अवधेश कुमार बनाम कुलपति, गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर एवं अन्य में दिनांक 02.04.2024 को निम्नांकित अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं—

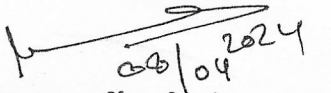
- “9. In such view of matter, let counter affidavit be filed within three weeks.
- 10- Rejoinder affidavit, if any, be filed before next date of listing.
11. List this petition on 22-05-2024.
12. In the meantime, effect and operation of Office Order dated 29-02-2024 shall remain stayed.
13. Stay application stands disposed of.”

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उपरोक्त अन्तरिम आदेश के अनुपालन में सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पीएमए/एसएओ/8054 दिनांक फरवरी 29, 2024 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के पद के दैनन्दिन (day to day) कार्यों का निर्वहन वरिष्ठतम प्राध्यापक, डा0 अवधेश कुमार, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय द्वारा सम्पादित किये जायें तथा संकाय/महाविद्यालय के नीतिगत प्रकरणों से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण के माध्यम से कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह आदेश रिट याचिका संख्या 120/2024 (एस/बी) के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

उपरोक्त आदेश कुलपति जी की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 08.04.2024 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।


कार्यवाहक मुख्य कार्मिक अधिकारी
कृते कुलपति

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय
- 2- डा0संदीप अरोरा, अधिष्ठाता, विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय
- 3- निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण
- 4- निदेशक (विधि)
- 5- कुलसचिव
- 6- नियन्त्रक
- 7- डा0 अवधेश कुमार, (वरिष्ठतम प्राध्यापक, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय) विभागाध्यक्ष, जलजीव पालन, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय
- ✓ 8- प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट
- 9- नोडल आफिसर, एमआईएससी
- 10- व्यक्तिगत पत्रावली
- 11- कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।